अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

1. पेंशन क्या है? मुझे इसकी आवश्यकता क्यों है?

पेंशन लोगों को उस समय मासिक आय उपलब्ध कराती है जब वे अर्जन नहीं कर रहे होते।

पेंशन की आवश्यकताः

- आयु के साथ-साथ अर्जन संभावना/क्षमता का कम होना।
- एकल परिवार की संख्या में वृद्धि - अर्जक सदस्यों का पलायन (छोड़कर चले जाना)।
- जीवनस्तर का महंगा होना।
- दीर्घायु व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि।
- सुनिश्चित मासिक आय बुढ़ापे में इज्जत की जिन्दगी सुनिश्चित करती है।

2. अटल पेंशन योजना क्या है?

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केन्द्रित है। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं के अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पर 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए और 5000 रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन दी जाएगी।

3. एपीवाई में कौन अभिदान कर सकता है?

भारत का कोई नागिरक एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है। पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:-

i. अभिदाता की आयु 18-40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
ii. उसका एक बचत बैंक खाता/डाक घर बचत बैंक खाता होना चाहिए।

सम्भावित आवेदक को एपीवाई खाते के संबंध में समय-समय पर अद्यतन सूचना प्राप्त करने की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान अपना आधार तथा मोबाईल नम्बर बैंक को देना होगा। तथापि, नामांकन के लिए आधार अनिवार्य नहीं है।

4. सरकार कितने वर्षों तक सह-अंशदान करेगी?

भारत सरकार का सह-अंशदान वैसे अभिदाता, जो इस योजना में 01 जून, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के दौरान शामिल होते हैं और जिन्हें किसी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के द्वारा कवर नहीं किया गया है और जो आयकर दाता नहीं हैं, के लिए 5 वर्ष, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20, तक उपलब्ध है। सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेन्सी से इसकी पुष्टि प्राप्त होने पर कि अभिदाता ने वर्ष के लिए सभी किस्तों का भुगतान कर दिया है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा पात्र स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) में सरकार का सह-अंशदान देय है, सरकार का सह-अंशदान वित्तीय वर्ष के अंत में कुल अंशदान का 50%, अधिकतम 1000 रुपए अभिदाता के बचत बैंक खाता/डाक घर बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

5. अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कौन-से लाभार्थी एपीवाई के अंतर्गत सरकारी सह-अंशदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं?

सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थी एपीवाई के अंतर्गत सरकारी सह-अंशदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उदाहरणार्थ निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य सरकारी सह-अंशदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगेः

i. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
ii. कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948
iii. असम टी प्लांटेशन भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध, 1955
iv. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966
v. जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1961
vi. कोई अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना।

6. एपीवाई के अंतर्गत कितनी पेंशन प्राप्त होगी?

अभिदाताओं द्वारा दिए गए अंशदान के आधार पर उन्हें 60 वर्ष की आयु से 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए और 5000 रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन दी जाएगी।

7. एपीवाई योजना में शामिल होने के क्या लाभ हैं?

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन के लाभ की गारंटी सरकार द्वारा इस अर्थ में दी जाएगी कि यदि अंशदान की अवधि के दौरान पेंशन अंशदान पर वास्तविक प्रतिफल न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन के लिए अनुमानित प्रतिफल से कम रहता है तो ऐसी कमी सरकार द्वारा वित्तपोषित की जाएगी। दूसरी ओर, यदि पेंशन अंशदान पर वास्तविक प्रतिफल अंशदान की अवधि के दौरान न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन के लिए संभावित प्रतिफल से अधिक रहता है तो इस अधिक राशि को अभिदाता के खाते में जमा किया जाएगा, इसके परिणामस्वरूप अभिदाताओं को योजना का बढ़ा हुआ लाभ प्राप्त होगा। सरकार प्रत्येक पात्र अभिदाता, जो 01 जून, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के दौरान इस योजना में शामिल होते हैं और जो किसी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी नहीं हैं और आयकर दाता नहीं हैं, के लिए कुल अंशदान का 50% या 1000 रुपए प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, का सह-अंशदान करेगी। सरकार का सह-अंशदान 5 वर्ष, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के लिए दिया जाएगा। इस समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत अभिदाता अंशदान तथा ऐसे अंशदान पर निवेश प्रतिफल के संबंध में अधिकतम सीमा तक कर लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अलावा, एनपीएस से बाहर निकलने पर वार्षिकी के खरीद मूल्य पर भी कर नहीं लगाया जाता है और अभिदाताओं की केवल पेंशन आय को सामान्य आय का भाग माना जाता है और इस पर अभिदाता के लिए प्रयोज्य कर की समुचित सीमांत दर से कर लगाया जाता है। यह प्रस्ताव है कि एपीवाई के अभिदाताओं पर भी इसी प्रकार का कर लगाया जाए। तथापि, इस समय एनपीएस के अंतर्गत उपलब्ध कर व्यवस्था को एपीवाई के अभिदाताओं के लिए लागू किया जाना है।

8. एपीवाई में अंशदान का निवेश कैसे किया जाता है?

एपीवाई के अंतर्गत अंशदान का निवेश केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/एनपीएस-लाइट/स्वावलंबन योजना/एपीवाई के लिए पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

9. एपीवाई खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है?

i. उस बैंक शाखा/डाक घर से संपर्क करें जहां आपका बचत बैंक खाता हो या यदि अभिदाता के पास बचत बैंक खाता न हो तो एक बचत खाता खोले।

ii. बैंक खाता संख्या/डाक घर बचत बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराएं तथा बैंक कर्मचारी की सहायता से एपीवाई पंजीकरण फॉर्म भरें।

iii. आधार/मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराएं। यह अनिवार्य नहीं है, परन्तु अंशदान के संबंध में सूचना की सुविधा के लिए इसे उपलब्ध कराया जाए।

iv. मासिक/तिमाही/छमाही अंशदान के अंतरण के लिए बचत बैंक खाता/डाक घर बचत बैंक खाता में अपेक्षित शेष राशि का होना सुनिश्चित करें।

10. क्या योजना में शामिल होने के लिए आधार नम्बर अनिवार्य है?

एपीवाई खाता खोलने के लिए आधार नम्बर उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं है। तथापि, अभिदाता की समुचित पहचान के लिए आधार नम्बर उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

11. क्या मैं बचत बैंक खाता के बिना एपीवाई खाता खोल सकता हूं?

एपीवाई में शामिल होने के लिए बचत बैंक खाता/डाक घर बचत बैंक खाता अनिवार्य है।

12. खाते में अंशदान की पद्धति क्या है?

अंशदान अभिदाता के बचत बैंक खाता/डाक घर बचत बैंक खाता से ऑटो डेबिट सुविधा के जरिए मासिक/तिमाही/छमाही अंतराल पर किया जा सकता है।

13. एपीवाई में कितना अंशदान करना है?

मासिक/तिमाही/छमाही अंशदान अभिप्रेत/वांछित मासिक पेंशन तथा योजना में शामिल होने के समय अभिदाता की आयु पर निर्भर है। ब्यौरा अनुबंध-I में देखा जा सकता है।

14. अंशदान की देय तिथि क्या है?

एपीवाई में अंशदान बचत बैंक खाता/डाक घर बचत बैंक खाता के जरिए मासिक अंशदान के मामले में उक्त महीने की किसी तारीख को अथवा तिमाही अंशदान के मामले में तिमाही के प्रथम माह की किसी तारीख को या छमाही अंशदान के मामले में छमाही के प्रथम माह की किसी तारीख को।

15. देय तिथि को अंशदान के लिए बचत बैंक खाता में पर्याप्त राशि के न होने पर क्या होगा?

अभिदाता को लंबित अंशदान के लिए किसी अतिदेय ब्याज से बचने के लिए नियत देय तारीख को अपने बचत बैंक खाते/डाक घर बचत बैंक खाते में अपेक्षित शेष राशि रखनी चाहिए। मासिक/तिमाही/छमाही अंशदान को बचत बैंक खाते/डाक घर बचत बैंक खाते में माह/त्रैमाह/छमाह की पहली तारीख को जमा किया जाए। तथापि, यदि अभिदाता के बचत बैंक खाता/डाक घर बचत बैंक खाते में तिमाही के प्रथम माह की अंतिम तारीख/छमाही के प्रथम माह की अंतिम तारीख तक पर्याप्त शेष राशि नहीं होती है तो इसे चूक माना जाएगा और अंशदान अगले माह में लंबित अंशदान के लिए अतिदेय ब्याज सहित जमा करना होगा। बैंकों को प्रत्येक लंबित मासिक अंशदान के लिए प्रत्येक 100 रुपए या इसके भाग के लिए 1 रुपए प्रतिमाह का अंशदान एकत्र करना है।

तिमाही/छमाही अंशदान के लिए लंबित अंशदान के संबंध में अतिदेय ब्याज दर की वसूली तदनुसार की जाएगी। एकत्रित अतिदेय ब्याज राशि अभिदाता के पेंशन निधि कॉर्पस का भाग बनी रहेगी।

निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन एक से अधिक माह/तिमाही/छमाही अंशदान की वसूली की जा सकती है। सभी मामलों में अंशदान की वसूली अतिदेय प्रभार, यदि कोई हो,

सहित की जानी है। यह बैंक की आंतरिक प्रक्रिया होगी। देय राशि की वसूली खाते में निधियों की उपलब्धता होते ही की जाएगी।

16. निरन्तर चूक के मामले में एपीवाई खाते का क्या होगा?

अभिदाता के खाते में खाता अनुरक्षण प्रभार तथा अन्य संबंधित प्रभार के संबंध में आवधिक आधार पर कटौती की जाएगी। खाता अनुरक्षण प्रभार, शुल्क तथा अतिदेय ब्याज की कटौती के कारण अभिदाता के खाते में शेष राशि के शून्य होते ही खाते को तत्काल बंद कर दिया जाएगा। वैसे अभिदाता, जिन्होंने सरकारी सह-अंशदान प्राप्त किया है, सरकार के सह-अंशदान को अभिदाता के कॉर्पस से घटाने पर यदि वह राशि खाता अनुरक्षण प्रभार शुल्क तथा अतिदेय ब्याज के बराबर हो जाए तो खाते को शून्य माना जाएगा। इस मामले में सरकार के सह-अंशदान को सरकार को वापस कर दिया जाएगा।

17. एपीवाई खाते के अनुरक्षण का शुल्क और प्रभार क्या है?

एपीवाई के सभी प्रभार तथा शुल्क की तालिका

मध्यवर्ती	प्रभार शीर्ष	सेवा प्रभार	एकत्र करने की पद्धति
पॉइंट्स ऑफ प्रजेन्स	(i) आरंभिक अभिदाता पंजीकरण	अभिदाताओं की संख्या के आधार पर 120 रुपए से 150 रुपए	स्वावलंबन की पद्धति के आधार पर एपीवाई के संवर्द्धन विस्तार तथा प्रभार के रूप में सरकार द्वारा प्रदत्त
	(ii) उत्तरवर्ती अवस्थिति	प्रति अभिदाता प्रतिवर्ष 100 रुपए	
सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेन्सी	(i) खाता खोलने का प्रभार	15 रुपए प्रति खाता	इकाइयों को रद्द करना।
	(ii) खाता अनुरक्षण प्रभार	प्रति खाता प्रतिवर्ष 40 रुपए	
पेंशन निधि प्रबंधक	निवेश प्रबंधन शुल्क	एयूएम का 0.0102% प्रतिवर्ष	निवल आस्ति मूल्य में समायोजित
अभिरक्षक	निवेश अनुरक्षण	इलेक्ट्रॉनिक के लिए	निवल आस्ति मूल्य में

	शुल्क	0.0075% तथा एयूएम के भौतिक घटक के लिए 0.05% प्रतिवर्ष	समायोजित

18. क्या योजना में शामिल होते समय नामांकन देना आवश्यक है?

जी, हां। एपीवाई खाते में नामिति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। यदि अभिदाता विवाहित है तो पति/पत्नी स्वमेव नामिति होंगे। अविवाहित अभिदाता किसी अन्य व्यक्ति को नामिति नामित कर सकते हैं और शादी के पश्चात् उन्हें अपनी पत्नी/अपने पति का ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा। पति/पत्नी तथा नामिति का आधार ब्यौरा भी उपलब्ध कराया जाए।

19. मैं कितने एपीवाई खाते खोल सकता/सकती हूं?

एक अभिदाता केवल एक एपीवाई खाता खोल सकता है और यह एकमात्र होगा। कई खातों की अनुमति नहीं है।

20. क्या अधिक अथवा कम पेंशन राशि के लिए मासिक अंशदान की राशि को बढ़ाने अथवा कम करने का कोई विकल्प है?

अभिदाता संचयन चरण के दौरान वर्ष में एक बार मासिक पेंशन राशि को बढ़ाने एवं कम करने के विकल्प का चयन कर सकते हैं। तथापि, वर्ष में केवल एक बार अप्रैल माह के दौरान ही यह विकल्प उपलब्ध होगा।

21. एपीवाई से राशि आहरण की प्रक्रिया क्या है?

क. 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर:

60 वर्ष की आयु पूरी होने पर अभिदाता संबंधित बैंक को गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन या एपीवाई में उल्लिखित गारंटीकृत प्रतिफल से निवेश प्रतिफल के अधिक होने पर उच्चतर मासिक पेंशन के आहरण के लिए अनुरोध करेगा। अभिदाता की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी/उनके पति को पति (स्वमेव नामिति) को वही मासिक पेंशन राशि देय है। अभिदाता तथा

उसकी पत्नी/पति दोनों की मृत्यु के पश्चात् नामिति अभिदाता द्वारा 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन धन वापस प्राप्त करने का पात्र होगा।

ख. 60 वर्ष की आयु के पश्चात् अभिदाता के किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में:

अभिदाता की मृत्यु के मामले में पेंशन पति/पत्नी को उपलब्ध होगी। उन दोनों (अभिदाता तथा उसकी पत्नी/पति) की मृत्यु के पश्चात् अभिदाता द्वारा 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन धन नामिति को वापस कर दिया जाएगा।

ग. 60 वर्ष की आयु से पहले योजना को छोड़नेः

सामान्यतया 60 वर्ष की आयु से पहले योजना को छोड़ने की अनुमति नहीं है, यह अनुमति एनपीएस के अंतर्गत परिपक्वता पूर्व निर्गम के उपबंधों के अनुरूप पीएफआरडीए द्वारा अपवादात्मक परिस्थितियों, अर्थात् लाभार्थी की मृत्यु या जानलेवा बीमारी की स्थिति में ही दी जा सकती है।

वैसे अभिदाता, जिन्होंने एपीवाई के अंतर्गत सरकार का सह-अंशदान प्राप्त किया है, बाद की तारीख में एपीवाई से स्वैच्छिक आधार पर इसे छोड़ने के विकल्प का चयन करते हैं तो उन्हें अपने अंशदान पर अर्जित निवल वास्तविक आय (उक्त राशि में से खाता अनुरक्षण प्रभार को कम करने के पश्चात्) सहित एपीवाई में केवल अपने द्वारा किए गए अंशदान ही वापस प्राप्त होंगे। सरकार का सह-अंशदान और उस पर अर्जित आय ऐसे अभिदाताओं को वापस नहीं किए जाएंगे।

घ. 60 वर्ष से पूर्व अभिदाता की मृत्युः

एपीवाई के अंतर्गत पूरी संचित राशि पति/पत्नी/नामिति को वापस कर दी जाएगी। तथापि, पति/पत्नी/नामिति को पेंशन देय नहीं होगी।

22. मैं अपने अंशदान के बारे मे कैसे जान सकूंगा/सकूंगी?

एपीवाई अभिदाताओं को पीआरएएन के चालू रहने, खाते में शेष राशि, अंशदान जमा राशि आदि के संबंध में आवधिक सूचना एसएमएस अलर्ट के जरिए दी जाएगी। अभिदाता को वर्ष में एक बार खाते का वास्तविक विवरण भी प्राप्त होगा।

23. क्या मुझे अपने लेन-देन की विवरणी प्राप्त होगी?

एपीवाई खाते की वास्तविक विवरणी अभिदाताओं को वर्ष में एक बार उपलब्ध करवायी जाएगी।

24. यदि मैं अपना आवास/शहर बदल कर कहीं और जाता/जाती हूं तो मैं एपीवाई खाते में अंशदान कैसे कर सकूंगा/सकूंगी?

स्थान परिवर्तन की स्थिति में भी अंशदान की राशि ऑटो डेबिट द्वारा बिना किसी विघ्न के प्रेषित की जाती रहेगी।

25. यदि अभिदाता देश का अनिवासी नागरिक बन जाए तो क्या होगा?

यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुली है। अतः उस स्थिति में एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा और अंशदान को 60 वर्ष से पूर्व योजना को स्वैच्छिक आधार पर छोड़ने के पूर्व उल्लिखित मामले के अनुसार अभिदाता को वापस कर दिया जाएगा।

26. एनपीएस-लाइट/स्वावलंबन योजना में मौजूदा अभिदाताओं का क्या होगा?

(क) 18 से 40 वर्ष के आयु समूह के अभिदाताः

अभिदाता को योजना से बाहर निकलने के विकल्प के साथ स्वतः एपीवाई में शामिल कर लिया जाएगा। संबंधित एग्रीगेटर उन अभिदाताओं को एक योजना से दूसरी योजना में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अभिदाता अपने स्वावलंबन खाते को पीआरएएन ब्यौरे के साथ एपीवाई में परिवर्तित करने के लिए निकटतम प्राधिकृत बैंक शाखा/डाक घर से भी संपर्क कर सकते हैं।

एपीवाई में शामिल होने वाले स्वावलंबन योजना के अभिदाताओं के संबंध में भारत सरकार के सह-अंशदान का लाभ दोनों योजनाओं के अंतर्गत समग्र रूप से 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। उदाहरणार्थ, यदि स्वावलंबन लाभार्थी सरकार के सह-अंशदान का लाभ 1 वर्ष तक प्राप्त करता है, तो एपीवाई के अंतर्गत उस अभिदाता को सरकार का सह-अंशदान केवल 4 वर्ष के लिए उपलब्ध होगा।

स्वावलंबन के मौजूदा लाभार्थी जो एपीवाई में प्रस्तावित स्वतः अंतरण से बाहर निकलने के विकल्प का चयन करते हैं तो पात्र होने पर उन्हें सरकार का सह-अंशदान वर्ष 2016-17 तक दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति के योजना से बाहर निकलने तक एनपीएस स्वावलंबन योजना जारी रहेगी।

18 से 40 वर्ष के आयु समूह के बीच के मौजूदा स्वावलंबन अभिदाता, जिन्होंने एपीवाई को अपना लिया है, के संचित कॉर्पस को उसी पीआरएएन के अंतर्गत रखा जाएगा और योजना से बाहर निकलने तक वह राशि अभिदाता के अतिरिक्त धन के रूप में बनी रहेगी। यह अतिरिक्त राशि अभिदाता को बढ़े हुए पेंशन लाभ या एकमुश्त आहरण, जैसा भी मामला हो, के रूप में दी जा सकती है। स्वावलंबन योजना से एपीवाई में शामिल होने पर एपीवाई के अंतर्गत ऐसे अभिदाताओं का अंशदान चयनित पेंशन राशि तथा अभिदाता की आयु के आधार पर अनुबंध-I में उल्लेख किए गए अनुसार होगा।

(ख) 40 वर्ष से अधिक आयु के अभिदाताः

स्वावलंबन योजना के अंतर्गत वैसे अभिदाता, जो 40 वर्ष से अधिक आयु के हों और योजना के अंतर्गत इसे जारी रखना चाहते हों, वे पूरी राशि के एकमुश्त आहरण के विकल्प का चयन कर सकते हैं या इसके अंतर्गत वार्षिकी के लिए पात्रता हेतु 60 वर्ष की आयु तक इसे जारी रखने का चयन कर सकते हैं।

27. यदि मैं एपीवाई का अभिदाता हूं तो क्या मैं अपनी मासिक ऑटो डेबिट सुविधा को अपनी सुविधानुसार तिमाही या छमाही में परिवर्तित कर सकता हूं?

जी, हां। अभिदाता ऑटो डेबिट सुविधा की पद्धति (मासिक/तिमाही/छमाही) में वर्ष के दौरान अप्रैल माह में एक बार परिवर्तन कर सकते हैं।

28. यदि मैंने 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो क्या मैं अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता हूं?

जी, नहीं। कोई व्यक्ति, जो 18 वर्ष और 39 वर्ष 364 दिन के आयु समूह के बीच हो, वे अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं।

*****